



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या- 1234 वर्ष 2026

पारस पांडे उर्फ पारस नाथ पांडे और 5 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, (गृह) लखनऊ और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : शशि कांत त्रिपाठी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, राहुल रोशन दुबे

न्यायालय संख्या-16

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल रोशन दुबे को सुना गया, जिनका वकालतनामा आज दाखिल किया गया है और उसे अभिलेख पर ले लिया गया है।

2. यह वर्तमान आवेदन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-17, सुल्तानपुर द्वारा वाद संख्या 13509 वर्ष 2025 (राज्य बनाम पारस पांडे और अन्य) में पारित दिनांक 03-07-2025 के समन आदेश को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21 वर्ष 2025 से उत्पन्न दिनांक 19-03-2025 की आरोप पत्र को भी रद्द करने की प्रार्थना की गई है। यह प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 (बीएनएस 115(2)), 342 (बीएनएस 127(2)), 504 (बीएनएस 352), 149 (बीएनएस 190), 147 (बीएनएस 191(2)), 148 (बीएनएस 191(3)), 307 (बीएनएस 109), और 452 (बीएनएस 333) के अंतर्गत पुलिस थाना कोतवाली देहात, जिला सुल्तानपुर में दर्ज किया गया था।

3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कुछ गलतफहमी के कारण आवेदकगण के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, इसके पश्चात दोनों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्ष एक साथ बैठे और उन्होंने आपसी सहमति से अपने विवाद को सुलझा लिया, जिसे 17.02.2025 को लिखित रूप दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि इसके पश्चात आवेदकगण ने विचारण न्यायालय को समझौता-पत्र का सत्यापन करने का निर्देश देने हेतु यह आवेदन दाखिल किया, और दिनांक 28.01.2026 के आदेश के अनुपालन में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की गई और उसकी आख्या इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है। उनका यह तर्क है कि इस प्रकरण में आगे की दाण्डिक कार्यवाही आवेदकगण हेतु मात्र उत्पीड़न का ही कारण बनेगी, अतः विचाराधीन दाण्डिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

4. विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया है और निवेदन किया है कि पक्षकारों द्वारा अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है तथा विपक्षी संख्या 2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः आवेदकगण के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को उपर्युक्त कथन पर कोई आपत्ति नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए मैं यह पाता हूँ कि पक्षकारों के मध्य दिनांक 17.02.2025 को एक समझौता हुआ था, और उक्त समझौते का सत्यापन दिनांक 12.03.2026 को किया गया था, और अब पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के बयान के अनुसार वे उपरोक्त दाण्डिक प्रकरण को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. इस न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि प्रकीर्ण आपराधिक रिट याचिका संख्या 761 वर्ष 2025 में 24.02.2025 को पारित किए गए आदेश में अपर शासकीय अधिवक्ता का कथन अभिलिखित किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि पीड़ित के शरीर पर लगी चोटें सामान्य हैं। ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य (2019 5 एससीसी 688)** के निर्णय के अंतर्गत आता है।

8. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, चूंकि आवेदकगण और विपक्षीगण के मध्य समझौता हो गया है और अब कोई शिकायत बाकी नहीं रह गई है, इसलिए उपरोक्त दाण्डिक प्रकरण में आगे की आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाना उचित है। यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003)4 एससीसी 675**; **निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [2008]9 एससीसी 677**], **मनोज शर्मा बनाम राज्य और अन्य (2008) 16 एससीसी 1**; **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303**; और **नरेन्द्र सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466** के प्रकरण में दिए गए निर्णयों के आधार पर लिया गया है।

9. तदनुसार, वाद संख्या 13509 वर्ष 2025 (राज्य बनाम पारस पांडे और अन्य) में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-17, सुल्तानपुर द्वारा पारित दिनांक 03-07-2025 के समन आदेश और प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 21 वर्ष 2025 से उत्पन्न दिनांक 19-03-2025 के आरोप पत्र के संबंध में दाण्डिक कार्यवाही जो थाना- कोतवाली देहात, जिला सुल्तानपुर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 (बीएनएस 115(2)), 342 (बीएनएस 127(2)),

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

504 (बीएनएस 352), 149 (बीएनएस 190), 147 (बीएनएस 191(2)), 148 (बीएनएस 191(3)), 307 (बीएनएस 109), 452 (बीएनएस 333) के अंतर्गत दर्ज की गई थी, को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

10. समझौता इस आदेश का हिस्सा होगा।

11. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12. अभिलेख में दर्ज।

30 मार्च 2026

वी. सिन्हा

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।